लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक –सी, प्रथम तल नया रायपुर
फोन नम्बर– 0771–2331385, फैक्स नम्बर–0771–2445215, ई–मेल–cg.dpi.dir@gmailcom

क्रमांक / विद्या / बी / CBSE / NOC / 2016–17 /   नया रायपुर,दिनांक   / / 2016

प्रति,

सचिव,
छत्तसीगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय
महानदी भवन नया रायपुर ।

विषयः–सी.बी.एस.ई.पाठ्यक्रम से संबद्धता के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत -- भारत माता सीनियर सेकेण्डरी स्कूल सेक्टर–26,राखी, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ ।

संदर्भः– जिला शिक्षा अधिकारी जिला रायपुर के पत्र क्रमांक / मान्यता / सी.बी.एस.ई. / 9753, रायपुर दिनांक 15.6.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा भारत माता सीनियर सेकेण्डरी स्कूल सेक्टर–26,राखी, नया रायपुर छत्तीसगढ़ को सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर का आदेश क्रमांक एफ 6–1 / 2008 / 20–तीन, रायपुर, दिनांक 9 / 7 / 2013 के अनुक्रम में अभिलेख का परीक्षण उपरान्त प्रकरण की स्थिति निम्नानुसार है :–

1 / **कार्यकारिणी में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा सदस्य का नामांकन होना चाहिये :–**
संस्था की कार्यकारिणी में छ.ग.माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि के रूप में सहायक सचिव मान्यता को नामांकित किया गया है ।

2 / विभागीय अनापत्ति हेतु संस्था को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल दिल्ली द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र की प्रति संलग्न है ।

3 / सी.बी.एस.ई. से संबद्धता उपरान्त संस्था राज्य शासन द्वारा आयोजित स्काउट्स गाईडस, रेडक्रास, एन.सी.सी. एवं एन.एस.एस. की गतिविधियों में भाग लेगी, शपथ पत्र में उल्लेख है ।

4 / विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृति एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र–शिक्षकों को गतिविधियों के लिए खेल मैदान, छात्रावास भवन सुविधा आदि आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करावेंगे,शपथ पत्र में उल्लेख है ।

5 / इन संस्थाओं के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर, विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण / जांच करने का अधिकार होगा, शपथ पत्र में उल्लेख है ।

क्रमशः 2 पर

Sr. Victoria
MANAGER
Bharat Mata Sr. Sec. School
Sector - 26, Rakhi
Naya Raipur - Chhattisgarh

Sr. Thomas
PRINCIPAL
Bharat Mata Sr. Sec. School
Sector - 26, Rakhi
Naya Raipur - Chhattisgarh

6/ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से संबद्धता प्राप्त होने पर संस्थायें छ.ग.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग व लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. द्वारा समय–समय पर शिक्षा के प्रबंधन एवं विकास के संबंध में जारी तथा अन्य निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी, शपथ पत्र में उल्लेख गया है ।

7/ **कार्यकारिणी में स्कूल शिक्षा विभाग राज्य शासन की ओर से सदस्य नामांकित होना चाहिये** :– संस्था की प्रबंध कार्यकारिणी समिति में छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि प्राचार्य, शा. उ.मा.वि. राखी, वि.ख.आरंग एवं प्राचार्य, शा. उ.मा.वि. उपरवारा, वि.ख.अभनपुर जिला रायपुर को मनोनित किया गया है ।

8/ प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेला का आयोजन आदि में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान करेंगे,शपथ पत्र में उल्लेख है ।

9/ अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा लिये जा रहे शुल्क के मापदण्ड नियम व प्रकिया यथा समय प्रकाशित की जायेगी । शिक्षण शुल्क लेने में पालको का शोषण नहीं किया जायेगा, शपथ पत्र में उल्लेख है ।

10/ छात्र/छात्राओं को शालाओं में लगने वाली पुस्तकों एवं लेखन सामग्री खुली बाजार से क्रय करने की सुविधा रहेगी । संस्था द्वारा छात्रों को उक्त सामग्री किसी दुकान विशेष से क्रय करने को बाध्य नहीं किया जावेगा, शपथ पत्र में उल्लेख है ।

11/ शिक्षण संस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार कियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकारी द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय–समय पर जारी किये जाने वाले सभी निर्देशों का पालन संस्थाओं को करना होगा,शपथ पत्र में उल्लेख है ।

12/ संस्था के छात्रों को निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापस निवास तक भेजने के लिए परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैद्य वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा । छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू एल.पी.जी. आदि से संचालित नहीं किया जायेगा, शपथ पत्र में उल्लेख है ।

13/ निःशक्त छात्रों के लिए संस्था को रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा । कोई भी संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगी । इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी शपथा पत्र में उल्लेख है ।

14/ संस्था को पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेदभाव तथा साम्प्रायिकता का बढ़ावा देने वाले किन्ही पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं छ.ग.शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेगी ,शपथ पत्र में उल्लेख है ।

क्रमशः 3 पर

Sr. Victoria
MANAGER
Bharat Mata Sr. Sec. School
Sector - 26, Rakhi
Naya Raipur - Chhattisgarh

Sr. Thomas
PRINCIPAL
Bharat Mata Sr. Sec. School
Sector - 26, Rakhi
Naya Raipur - Chhattisgarh

सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. पाठ्यक्रम से संबंद्धता के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली के अनुदेश के अनुक्रम में निम्नांकित जानकारी प्रस्तुत की गई है :—

1. **प्रस्तावित स्कूल राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिये** । जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर के पत्र क्रमांक/मान्यता/ नवीन/बी–/2016–17/3540, रायपुर, दिनांक 9.5.2016 द्वारा भारत माता सीनियर सेकेण्डरी स्कूल सेक्टर–26,राखी, नया रायपुर को नर्सरी से पांचवी तक सत्र 2016–17 के लिए शाला संचालन हेतु अनंतिम मान्यता दी गई है । मान्यता की छायाप्रति संलग्न है । (ध्वज–1)
2. विभागीय अनापत्ति हेतु संस्था को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल दिल्ली द्वारा निर्धारित प्रपत्र में समस्त आवश्यक अभिलेख सहित आवेदन पत्र । (ध्वज–2)
3. विद्यालय सोसायटी के पास भूमि :– समिति के पास स्वयं का शाला भवन है। शाला परिसर का क्षेत्र –18866.76 वर्ग मीटर, स्कूल भवन निर्मित का क्षेत्रफल– 3993.93 वर्ग मीटर, खेल मैदान 13081.29 वर्ग फीट ,भूमि का नक्सा, खसरा नम्बर आदि अभिलेख की छायाप्रति संलग्न है। (ध्वज –3)
4. विज्ञान लैब, ग्रथालय आदि की जानकारी संलग्न है ।(ध्वज –4)
5. छात्र संख्या की जानकारी संलग्न है । (ध्वज–5)
6. विद्यालय में कार्यरत स्टाफ की सूची (पद, शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान सहित जानकारी) संलग्न है । (ध्वज–6)
7. ट्रस्ट/समिति /सोसायटी पंजीकृत है, छायाप्रति संलग्न है एवं समिति की नियमावली व समिति के सदस्यों की सूची संलग्न है (ध्वज–7)
8. स्कूल में पानी,शौचालय, अग्नि शमन यंत्र उपलब्ध होने की जानकारी निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेख है ।
9. संस्था की प्रबंध कार्यकारिणी समिति में छ.ग.शासन शिक्षा विभाग का प्रतिनिधि प्राचार्य, शा. उ.मा.वि. राखी, वि.ख.आरंग एवं प्राचार्य, शा. उ.मा.वि. उपरवारा, वि.ख.अभनपुर जिला रायपुर को मनोनित किया गया है। पत्र की छायाप्रति संलग्न है(ध्वज–9)
10. संस्था की कार्यकारिणी में छ.ग.माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि के रूप में सहायक सचिव, मान्यता को मनोनित किया गया है । (ध्वज–10)
11. छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, के निर्देश दिनांक 9.7.2013 में उल्लेख बिन्दुवार निर्देशों के पालन करने संबंधी शपथ पत्र संलग्न है । (ध्वज–11)
12. अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मापदण्ड अनुसार संबंधित स्कूल का निरीक्षण प्रतिवेदन वर्तमान स्थिति में । (ध्वज–12)
13. आडिट संबंधी जानकारी ।(ध्वज–13)

अतः जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर द्वारा दिये गये अनुशंसा के आधार पर एवं ऊपर लिखित बिन्दुओं के प्रकाश में सी.बी.एस.ई.पाठ्यक्रम से संबद्धता हेतु भारत माता सीनियर सेकेण्डरी स्कूल सेक्टर–26,राखी, नया रायपुर छत्तीसगढ़ को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रस्ताव अनुशंसा सहित प्रेषित है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

Sr. Thomas
PRINCIPAL
Bharat Mata Sr. Sec. School
Sector - 26, Rakhi
Naya Raipur - Chhattisgarh

Sr. Victoria
MANAGER
Bharat Mata Sr. Sec. School
Sector - 26, Rakhi
Naya Raipur - Chhattisgarh

sd
संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

पृ0 कमांक/विद्या/CBSE/NOC /2016–17/ 402 नया रायपुर दिनांक 30/6/2016

प्रतिलिपिः–

1. जिला शिक्षा अधिकारी जिला –रायपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ ।

2. प्राचार्य, भारत माता सीनियर सेकेण्डरी स्कूल सेक्टर–26,राखी, नया रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ ।

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

Sr. Thomas
PRINCIPAL
Bharat Mata Sr. Sec. School
Sector - 26, Rakhi
Naya Raipur - Chhattisgarh

Sr. Victoria
MANAGER
Bharat Mata Sr. Sec. School
Sector - 26, Rakhi
Naya Raipur - Chhattisgarh